



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
द्वितीय अपील सं. 86/2020
निर्णय सुरक्षित किया गया : 01.07.2025
निर्णय पारित किया गया : 16.07.2025

1 - अमर प्रसाद अघरिया पिता मनीराम उम्र लगभग 50 वर्ष जाति गोंड, व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी, निवासी ग्राम सलिहाभाठा, थाना व तहसील तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2 - बुंदराम रावत पिता कृपाराम उम्र लगभग 55 वर्ष व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सलिहाभाठा, थाना व तहसील तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी/प्रतिवादी 1 और 2

बनाम

1 - सारंग सिंह सिदार पिता स्वर्गीय घायल सिंह 65 वर्ष, जाति गोंड, व्यवसाय कृषि तथा श्रम, ग्राम सालिहाभाठा, पुलिस थाना तथा तहसील तामनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। (वादी)

2 - रविराम गोंड (मृत), विधिक प्रतिनिधि के द्वारा

2.1 - ए. श्रीमती. चलमती सिदार पति स्वर्गीय रविराम गोंड उम्र लगभग 57 वर्ष निवासी ग्राम सलिहाभाठा, थाना व तहसील तमनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2.2 - बी. दामरुधर सिदार पिता स्वर्गीय रविराम गोंड, 27 वर्ष निवासी गाँव सालिहाभाठा, पुलिस थाना तथा तहसील तामनार, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

3 - छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्तागण हेतु :--श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :--श्री रवीन्द्र शर्मा, अधिवक्ता



उत्तरवादी 2 (ए) और 2 (बी) हेतु :---कोई भी उपस्थित नहीं, यद्यपि तामिलि कि गई

उत्तरवादी सं.3/राज्य हेतु:--सुश्री मुक्ता त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह द्वितीय अपील अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों क्रमांक 1 और 2 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत पेश की गई है, जिसमें सिविल अपील क्रमांक 25/2019 में अपर जिला न्यायाधीश, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छग) द्वारा पारित दिनांक 07.01.2020 (अनुलग्नक-ए/1) के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा इसने सिविल वाद क्रमांक 7 ए/2012 में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग-II, घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छग) के न्यायालय में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.5.2019 (अनुलग्नक-ए/2) के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया है, जिसमें वादी द्वारा पूर्ण स्वामित्व और कब्जे की घोषणा, अतिक्रमित भूमि पर कब्जा पाने और उपमंडल अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा द्वारा पारित दिनांक 17.8.2011 के आदेश को रद्द करने और उल्लिखित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद दायर किया गया था। वाद पत्र के साथ संलग्न अनुसूची ए को अस्वीकार कर दिया गया है। (सुविधा के लिए, पक्षकारों को इसके बाद उनकी स्थिति के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया जाएगा)

2. मामले के तथ्य, जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह है कि, वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए सिविल वाद दायर किया कि राज्य सरकार ने लगभग 25-30 वर्ष पूर्व वादी को ग्राम सलिहाभाठ, पटवारी हल्का क्रमांक 32, पुलिस थाना एवं तहसील-तमनार, जिला रायगढ़ में स्थित खसरा क्रमांक 484, क्षेत्रफल 0.429 हेक्टेयर भूमि (संक्षेप में 'वादग्रस्त भूमि') के संबंध में पट्टा प्रदान किया था और वादी उक्त अवधि से उक्त वाद भूमि पर काबिज है और उसका अधिकार है। प्रतिवादी क्रमांक 1 अमर प्रसाद, प्रतिवादी क्रमांक 2 बुंदराम और प्रतिवादी क्रमांक 3 रविराम गोंड (मृतक) ने वादग्रस्त भूमि पर अवैध और अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वादी द्वारा उक्त कार्य करने से मना करने के बाद भी प्रतिवादियों द्वारा उक्त निर्माण कार्य किया गया। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादियों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए वादी ने तहसीलदार, तमनार के समक्ष राजस्व वाद दायर किया। तहसीलदार तमनार के आदेशानुसार संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमांकन किया तथा उक्त सीमांकन में पाया गया कि अमर प्रसाद ने वादग्रस्त भूमि पर 41x31 मीटर पर बगीचा तथा 26x30 मीटर पर मकान का निर्माण किया है, तथा बुंदराम ने वाद भूमि पर 24x32 मीटर पर बगीचा तथा 18x19 मीटर पर मकान का निर्माण किया है, तथा रविराम गोंड ने वाद भूमि पर 27x13 मीटर पर मकान का निर्माण किया है। तत्पश्चात, तहसीलदार तमनार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2009 के तहत उन्हें अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। तहसीलदार तमनार के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के समक्ष



अपील प्रस्तुत की तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2011 द्वारा तहसीलदार तमनार द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वादी ने प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त आवेदन पांच वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी ने आयुक्त, बिलासपुर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो लंबित है। चूंकि वादी पिछले 25-30 वर्षों से वाद भूमि पर काबिज है और उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसलिए उसने अपने पूर्ण स्वामित्व और कब्जे की घोषणा, अतिक्रमित भूमि पर कब्जा पाने और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2011 को रद्द करने और वाद पत्र के साथ संलग्न 'अनुसूची ए' में उल्लिखित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद दायर किया है।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने संयुक्त रूप से अपना लिखित बयान दायर किया है जिसमें वाद पत्र में लगाए गए अधिकांश आरोपों का खंडन किया गया है। यह अभिकथित किया गया है कि राज्य सरकार ने भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया है और वादी के पास ग्राम सलिहाभाठ में भूमि है, इसलिए वह वादग्रस्त भूमि का पट्टा पाने का हकदार नहीं है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर 1978 से काबिज हैं और तहसीलदार के आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर 20 वर्षों से निवास कर रहे हैं। अतः, वादी द्वारा दायर किया गया वाद विचारणीय नहीं है और समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार की गई सीमांकन रिपोर्ट और पंचनामा संदिग्ध है, यह प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था। प्रतिवादियों ने इस आधार पर प्रतिवाद भी दायर किया है कि वाद की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पास लगभग 30 वर्षों से कब्जे में है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादियों ने वाद की भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। अतः, उन्होंने प्रार्थना की है कि उपरोक्त आधार पर वादी द्वारा दायर वाद को खारिज किया जाए।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क के आधार पर, चार विवाद्यक तय किए, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्ज किए और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद, दिनांक 14.5.2019 के निर्णय और डिक्री द्वारा वादी द्वारा दायर सिविल वाद को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वह वाद की जमीन का मालिक है और प्रतिवादियों ने वाद की जमीन पर अतिक्रमण किया है।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर, वादी ने अपर जिला न्यायाधीश, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ के समक्ष प्रथम अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और वादी के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका में कहा गया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत किया गया।

6. यह अपील विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई हेतु स्वीकार की जाती है: ---



"क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को पलटना उचित था कि वादी के पास वाद वाली भूमि पर मालिकाना हक और हित है, इसलिए वह अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से कब्जा पाने का हकदार है?"

7. अपीलकर्ता/प्रतिवादी 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि यद्यपि एक्स पी/26 के तहत वादग्रस्त भूमि का पट्टा वादी को प्रदान किया गया था, लेकिन केवल पट्टे के आधार पर उसे मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास पहले से ही भूमि थी और वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का वादग्रस्त भूमि के एक टुकड़े पर 1978 से कब्जा है, इसलिए उन्हें भूमि के उक्त हिस्से से हटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वादी ने छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में 'संहिता 1959') की धारा 250 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12.10.2009 (एक्स.-पी/7) के तहत अनुमति दी थी, लेकिन इसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा ने आदेश दिनांक 17.8.2011 (एक्स.-पी/9) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 वादी को पट्टा देने के 5 वर्ष पहले से कब्जे में हैं। इस प्रकार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा ने आदेश (एक्स.-पी/9) में स्वयं माना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के पास वाद भूमि के संबंधित टुकड़े का कब्जा है, लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उस आदेश पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना अनुविभागीय अधिकारी के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित तर्कसंगत आदेश को पलटते हुए वादी के पक्ष में डिक्री प्रदान कर दी है, इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि अपील को स्वीकार किया जाए और अपर जिला न्यायाधीश, घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाए।

8. इसके विपरीत, वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादाधीन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 0.429 हेक्टेयर है, वर्ष 1986-87 में वादी को पट्टे पर प्रदान की गई थी और उपरोक्त आदेश के तहत उसे भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पट्टा (प्रत्यावेदन-पी/26) के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करना मान्य नहीं हो सकता, गलत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 1986-87 में वादाधीन भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने के बाद, वादी का उस पर निरंतर कब्जा रहा, तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2009 (एक्स.-पी/7) जिसमें संहिता 1959 की धारा 250 के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी, को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा द्वारा आदेश दिनांक 17.8.2011 (एक्स.-पी/9) के तहत अपास्त कर दिया गया था, लेकिन यह केवल इस आधार पर पारित किया गया है कि प्रतिवादी 5 वर्षों से कब्जे में हैं, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का उक्त निष्कर्ष निराधार और अवैध है क्योंकि उपरोक्त आदेश में उक्त 5 वर्षों में कोई वर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जबकि पट्टा प्रदान करने के बाद, वादी भूमि का वादी के नाम पर नामांतरण कर दिया गया था और राजस्व अभिलेखों



में उसका कब्जा भी दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों ने वर्ष 2005 में वाद भूमि के उक्त हिस्से पर अतिक्रमण किया, उसके बाद वादी ने वाद भूमि का सीमांकन कराया, जिसमें सीमांकन रिपोर्ट (एक्स.पी/4 से पी/6) के अनुसार राजस्व अधिकारी ने बताया कि बुंदराम ने 24x32 मीटर और 18x19 मीटर पर अतिक्रमण किया; रविराम गोंड ने 27x13 मीटर और अमर प्रसाद ने 41x31 मीटर और 26x30 मीटर पर अतिक्रमण किया, इस प्रकार सीमांकन रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादियों ने वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 250-बी राजस्व प्राधिकारियों पर यह दायित्व भी डालती है कि यदि अतिक्रमणकारी उस भूमि को खाली नहीं करता है, जो किसी व्यक्ति (आवंटी) को आवंटित की गई है, तो ऐसी भूमि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खाली कराई जाएगी। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने अपने आदेश दिनांक एक्स-पी/9 के तहत उपरोक्त प्रावधान की गलत व्याख्या की और केवल यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि संहिता 1959 की धारा 250 के तहत वादी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन दायर नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सुविचारित आदेश द्वारा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः यह अपील खारिज की जा सकती है।

9. राज्य इस अपील में एक औपचारिक पक्षकार है।

10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

11. वादी सारंग सिंह सिदार (पीडब्लू-1) का दावा है कि उन्हें वर्ष 1986-87 में प्र-पी/26 के तहत पट्टा आवंटित किया गया था और तब से वे उस पर काबिज हैं। इस तथ्य का समर्थन खगेश्वर पैकरा (पीडब्लू-2) और रामावतार पैकरा (पीडब्लू-3) ने भी किया है, जो वादी के गांव के निवासी हैं।

12. प्र-पी/26, राजस्व प्रकरण क्रमांक 238/ए-19/1986-87 में नायब तहसीलदार, घरघोड़ा द्वारा जारी पट्टे की प्रमाणित प्रति है, जिसके द्वारा वादी को वादी की संपत्ति का स्वामित्व प्रदान किया गया था। प्र-पी/14, वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की वादी भूमि के खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रति है, जो दर्शाती है कि वादी की भूमि वादी के कब्जे में है। प्र-पी/18, वर्ष 2013-14 के लिए वाद भूमि की किस्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रति है। प्र-पी/20, वर्ष 2015-16 के लिए वाद भूमि के खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रति है। ये राजस्व दस्तावेज वादी और उसके साक्षियों के इस कथन का समर्थन करते हैं कि वाद भूमि के पट्टे/स्वामित्व अधिकार के आवंटन के बाद, इसे वादी के नाम पर दर्ज किया गया था और पट्टा प्रदान किए जाने के बाद भी वह उस पर काबिज रहा है।



13. प्रतिवादी अमर प्रसाद (डीडब्लू-1) और बुंदराम (डीडब्लू-2) ने यह कथन दिया है कि चूंकि वादी के पास गांव में अन्य भूमि थी, इसलिए वह पट्टा पाने का हकदार नहीं था, लेकिन यह तर्क कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि वे उक्त पट्टा प्राप्त करने के लिए वादी की योग्यता पर निर्णय लेने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, पट्टा एक्स-पी/26 राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व मामले की उचित प्रक्रिया शुरू करने के बाद प्रदान किया गया था। इसलिए, एक्स-पी/26 की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

14. प्र-पी/26 के तहत, वादी को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया गया था और राजस्व दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि बाद में भूमि का नामांतरण उसके नाम पर कर दिया गया और उसे उस पर कब्जा भी दे दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अमर प्रसाद और प्रतिवादी संख्या 2 बुंदराम के बयान के अनुसार, वे 1978 से वाद भूमि के उक्त हिस्से पर काबिज हैं। उनके कथन का समर्थन जीवन पटेल (डीडब्लू-3) ने भी किया है। इस संबंध में, प्रतिवादियों ने राजस्व अपील संख्या 10 ए/70/2009-10 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2011 (एक्स-पी/9) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। यद्यपि उस आदेश के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2009 (एक्स-पी/7) को अपास्त कर दिया, जो संहिता 1959 की धारा 250 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

15. वादी सारंग सिंह (पीडब्लू-1) ने अपने बयान में कहा है कि वर्ष 2006 में प्रतिवादी क्रमांक 1 अमर प्रसाद और प्रतिवादी क्रमांक 2 बुंदराम ने वाद भूमि पर अतिक्रमण किया था, इसलिए उन्होंने राजस्व वाद दायर किया, जिसमें वाद भूमि का तहसीलदार, तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा सीमांकन किया गया। इसके बाद राजस्व निरीक्षक, तमनार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्र.पी/3 से प्र.पी/6 प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अमर प्रसाद ने 41 x 29 पर अतिक्रमण कर बाड़ी का निर्माण किया है, 26 x 30 पर अतिक्रमण कर उस पर मकान बनाया है। प्रतिवादी बुंदराम ने वाद भूमि से 24 x 32 पर भी अतिक्रमण कर बाड़ी का निर्माण किया है और आगे 18 x 19 पर अतिक्रमण कर उस पर मकान बनाया है। इसके आधार पर, तहसीलदार, तमनार ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 4 ए/70/2006-07 में दिनांक 12.10.2009 (एक्स-पी/7) आदेश पारित किया और प्रतिवादियों को भूमि खाली करने का निर्देश दिया। लेकिन अपील में, दिनांक 17.8.2011 के आदेश एक्स-पी/9 के तहत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला रायगढ़ ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को केवल इसलिए अपास्त कर दिया, क्योंकि वादी ने पट्टा दाखिल नहीं किया था और उसने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में 'संहिता 1959') की धारा 250(1-ए) के प्रावधान के अनुसार 5 वर्षों के भीतर आवेदन भी दाखिल नहीं किया था। उपरोक्त आदेश में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने माना है कि प्रतिवादी वाद भूमि के उक्त भाग पर 20 वर्षों से काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहे हैं कि वे 1978 से या 2006 से पहले 20 वर्षों से वाद भूमि पर काबिज हैं। उपरोक्त आदेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा तहसीलदार (एक्स-पी/7) के दिनांक 12.10.2009 के आदेश को एक्स-पी/9 के माध्यम



से अपास्त करना न केवल अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है, बल्कि यह संहिता 1959 की धारा 250 और 250-बी के प्रावधान के भी विरुद्ध है, जो इस प्रकार है:---

250. अनुचित तरीके से बेदखल किए गए भूमिस्वामी की बहाली।

- (1) इस धारा और धारा 250-ए के प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी में सरकारी पट्टेदार भी शामिल होगा।

(1-क) यदि किसी भूमिस्वामी को विधि के सम्यक् अनुक्रम के अलावा किसी अन्य तरीके से भूमि से बेदखल किया जाता है या यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से भूमिस्वामी की किसी भूमि पर कब्जा बनाए रखता है, जिसके उपयोग का ऐसा व्यक्ति इस संहिता के किसी उपबंध के अधीन हकदार नहीं रह गया है, तो भूमिस्वामी या उसका हित-उत्तराधिकारी कब्जे की बहाली के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(1-ख) तहसीलदार को यह पता चलने पर कि किसी भूमिस्वामी को विधि के सम्यक् अनुक्रम के अलावा किसी अन्य तरीके से उसकी भूमि से बेदखल किया गया है, वह स्वप्रेरणा से इस धारा के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा।

(2) तहसीलदार, पक्षकारों के अपने-अपने दावों की जांच करने के पश्चात् आवेदन पर निर्णय करेगा और जब वह भूमिस्वामी को कब्जा लौटाने का आदेश देगा, तो उसे भूमि का कब्जा दे देगा।

(2-क) इस धारा के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही, दूसरे पक्षकार से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, दिन-प्रतिदिन जारी रहेगी, जब तक कि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अधिक स्थगन आवश्यक न समझा जाए और ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थगन के कारणों सहित आदेश पत्र की एक प्रति कलेक्टर को भेजी जाएगी।

(3) यदि तहसीलदार को यह पता चलता है कि आवेदन प्रस्तुत करने या इस धारा के अधीन स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व छह माह के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा भूमि को बेदखल कर दिया गया था, तो वह जांच के किसी भी चरण में भूमि का कब्जा भूमिस्वामी, सरकारी पट्टेदार, जैसी भी स्थिति हो, को सौंपने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा। ऐसे मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विरोधी पक्षकार को तहसीलदार के आदेश के अधीन बेदखल कर दिया जाएगा।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया हो, तो तहसीलदार द्वारा विपक्षी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी राशि का बंधपत्र निष्पादित करे, जितनी तहसीलदार उचित समझे, ताकि वह भूमि पर कब्जा लेने से तब तक विरत रहे जब तक कि तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित न कर दिया जाए।



(5) यदि बंधपत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति बंधपत्र के उल्लंघन में भूमि पर प्रवेश करता या कब्जा लेता पाया जाता है, तो तहसीलदार बंधपत्र को पूर्णतः या आंशिक रूप से जब्त कर सकेगा और ऐसी राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

(6) यदि उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश आवेदक के पक्ष में है तो तहसीलदार, विरोधी पक्ष द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णीत करेगा, जो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर [एक हजार रुपये] की आनुपातिक दर पर होगा।

(7) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(8) जब उपधारा (2) के अधीन भूमिस्वामी को कब्जा लौटाने का आदेश पारित किया गया हो तो तहसीलदार, विरोधी पक्ष से आदेश के उल्लंघन में भूमि पर कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा, जितनी वह उचित समझे। (9) जहां उपधारा (2) के अधीन भूमिस्वामी के कब्जे की बहाली के लिए आदेश पारित किया गया है, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, जो [दस हजार रुपए] तक का हो सकेगा।

--परन्तु तहसीलदार को पांच हजार रुपये से अधिक की राशि का जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु यदि किसी मामले में वह समझता है कि मामले की परिस्थितियां अधिक जुर्माना लगाने के लिए उपयुक्त हैं, तो वह मामले को उप-विभागीय अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा, जो संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् जुर्माने के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

250-बी. भूमि आवंटिती के पक्ष में भूमि खाली न कराना अपराध होगा। (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे भूमि स्वामी अधिकारों में या सरकारी पट्टेदार के रूप में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भूमि के वितरण या निपटान या आवंटन की किसी योजना के अनुसार, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाया या प्रायोजित किया जा सकता है या किसी अधिनियम के तहत ऐसी किसी योजना के अनुसार उसे दिए गए पट्टे के तहत भूमि आवंटित की गई है और ऐसा व्यक्ति उसे आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में सक्षम नहीं है, तो वह उसे दिए गए पट्टे के तहत आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा देने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।

2) आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार लिखित आदेश द्वारा निर्देश जारी करेगा-

(i) भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को उसे तुरन्त खाली करने के लिए; या

(ii) यदि कोई व्यक्ति कब्जा लेने या कब्जा देने में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्देश देगा कि वह ऐसी बाधा को हटा दे ताकि कब्जा दिया जा सके, और उसके द्वारा भूमि खाली करने या बाधा हटाने पर, भूमि का वास्तविक कब्जा भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार, जैसी भी स्थिति हो, को सौंप दे, जो पट्टे के अधीन भूमि को धारण करने का हकदार है।



(3) यदि आवश्यक हो तो तहसीलदार पुलिस बल सहित ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आबंटिती को भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक है।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के अधीन निर्देश जारी किया गया है, निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा, और निर्देश का ऐसा गैर-अनुपालन जारी रहने पर, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा जो पहले दिन के बाद प्रतिदिन के लिए एक सौ रुपये तक हो सकेगा, जिसके दौरान गैर-अनुपालन जारी रहना साबित हो जाता है।

(5) इस धारा के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

16. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि, यदि किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा किसी योजना के तहत पट्टे पर भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाता है, तो राज्य सरकार/तहसीलदार के अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वे आवंटित व्यक्ति को उस भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएं, जिसका पट्टा उसे प्रदान किया गया है, अन्यथा पट्टा प्रदान करना केवल कागजी कार्यवाही होगी। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, प्र-पी/26 के तहत वादी को पट्टा/भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के बाद, उसे कब्जा भी प्रदान किया गया और वाद भूमि का राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर उत्परिवर्तन किया गया। तत्पश्चात, प्रतिवादियों ने भूमि के उक्त भाग पर अतिक्रमण कर लिया, जिसकी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक, तमनार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्र-पी/3 से प्र-पी/6 के माध्यम से भी दी गई है, जो प्रतिवादियों की उपस्थिति में तैयार की गई थी क्योंकि प्र-पी/4 में उनके हस्ताक्षर हैं, जिसमें यह बताया गया है कि प्रतिवादियों ने वाद भूमि के उक्त भाग पर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा भी प्र-पी/15 से प्र-पी/16 के माध्यम से इसी प्रकार की रिपोर्ट दी गई है।

17. प्रतिवादियों ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वाद भूमि के उक्त भाग पर उनका कब्जा 1978 से या 2006 से 20 वर्ष पूर्व से है। वैसे भी, वादी को वाद भूमि पर भूस्वामी अधिकार प्रदान किया गया है, इस प्रकार, उसने इस पर विधिक अधिकार प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार वह कब्जा पाने का भी हकदार है और यदि उसे बेदखल कर दिया जाता है, तो राजस्व अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे उसे संहिता 1959 की धारा 250 और 250-बी के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दिलाएं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का वाद भूमि पर कोई विधिक अधिकार नहीं है और तर्क के लिए भी, यदि यह मान लिया जाए कि किसी समय, उनके पास वाद भूमि थी, तब भी वे विधि की नजर में अपने अवैध कब्जे की रक्षा करने के हकदार नहीं हैं।

18. उपरोक्त चर्चा के तहत, मुझे विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं दिखती है, इसलिए, अपील खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि विधि के ऐसे प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है, अर्थात् वादी/प्रतिवादी के पक्ष में और प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध।



19. परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।
20. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।
21. विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस किया जाए।

सही/-
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

